

राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 का नियम 8 -

वर्गीकरण, उप-वर्गीकरण और रजिस्ट्रीकरण के समय अपेक्षित न्यूनतम शेयर पूंजी :-

सारणी

क्र.सं.	वर्ग	उप-वर्ग	वर्ग या, यथास्थिति, उप-वर्ग के अधीन आने वाली सोसाइटियों के उदाहरण	वर्ग/उपवर्ग में प्रमुखतः आने वाली सोसाइटियां	रजिस्ट्रीकरण के समय अपेक्षित न्यूनतम शेयर-पूंजी (लाख रुपये में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	कृषि विपणन सोसाइटी	(क) परिसंघ	सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर अधिकारिता रखने वाली	राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लि०, जयपुर	25.00
		(ख)	फल और सब्जी उत्पादन और विपणन	फल सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति	2.00
		(ग)	कृषि उत्पादन के समस्त अन्य क्रय और विक्रय संघ और विपणन सोसाइटियां	क्रय विक्रय सहकारी समिति	1.00
2.	उपभोक्ता सोसाइटी	(क) परिसंघ	सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर अधिकारिता रखने वाली	राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ	25.00
		(ख) केन्द्रीय	थोक भण्डार	जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार	2.00
		(ग) प्राथमिक	प्राथमिक भण्डार	प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार	0.50
3.	सहकारी बैंक	(क) शीर्ष बैंक	(शीर्ष सोसाइटी, जो राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की परिसंघीय निकाय है और बैंककारी कारबार में लगी हुई है)	राजस्थान राज्य सहकारी बैंक	500.00
		(ख) केन्द्रीय बैंक	(केन्द्रीय सोसाइटी, जिसकी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटियां सदस्य हैं और जो बैंककारी कारबार में लगी हुई हैं)	केन्द्रीय सहकारी बैंक	50.00
		(ग) अन्य बैंक	(i) अरबन बैंक	अरबन/नागरिक सहकारी बैंक	200.00
			(ii) भूमि विकास बैंक	जिला सहकारी भूमि विकास बैंक	25.00

			(iii) वेतन भोगी बैंक	कर्मचारी बचत व साख सहकारी समिति	2.00
4.	कृषि सोसाइटी	(क) सामूहिक कृषि सोसाइटी	कृषि सोसाइटियां, जहां स्वामित्व सोसाइटी में निहित है	सामूहिक कृषि सहकारी समिति	उपविधियों के अनुसार
		(ख) संयुक्त कृषि सोसाइटी	सोसाइटियां, जहां स्वामित्व सदस्यों द्वारा रखा जाता हो	संयुक्त कृषि सहकारी समिति	उपविधियों के अनुसार
5.	गृह निर्माण सोसाइटी	(क) किरायेदार स्वामित्व गृह निर्माण सोसाइटी	गृह निर्माण सासाइटियां, जहाँ सोसाइटियों द्वारा भूमि या तो पट्टे पर या फ्रीहोल्ड आधार पर धारित की जाती है और गृहों पर सदस्यों का स्वामित्व होता है, या होना है	गृह निर्माण सहकारी समिति	उपविधियों के अनुसार
		(ख) किरायेदार सहभागी गृह निर्माण सोसाइटी	गृह निर्माण सासाइटियां, जो भूमि और भवन दोनों ही या तो पट्टे पर या फ्रीहोल्ड आधार पर धारित करती हैं, और अपने सदस्यों को उनका आवंटन करती है	गृह निर्माण सहकारी समिति	उपविधियों के अनुसार
		(ग) अन्य गृह निर्माण सोसाइटियां	गृह बन्धक सोसाइटियां और गृह निर्माण सोसाइटियां	गृह निर्माण सहकारी समिति	
6.	प्रसंस्करण सोसाइटी	(क) कृषि प्रसंस्करण सोसाइटी	कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण करने वाली सोसाइटियां जैसे सहकारी चीनी कारखाने और तेल मिलें	1. राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ (तिलम संघ) 2. तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	उपविधियों के अनुसार
		(ख) औद्योगिक प्रसंस्करण सोसाइटी	ऊन प्रसंस्करण और चमड़ा बनाने वालों की सोसाइटियां	1. भेड व ऊन उत्पादक सहकारी समिति 2. चर्म उत्पादक सहकारी समिति	उपविधियों के अनुसार
7.	उत्पादकों की सोसाइटी	(क) औद्योगिक उत्पादकों की सोसाइटी	बुनकरों और बढइयों की सोसाइटियां	1. राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ 2. जिला बुनकर सहकारी संघ	0.25

				<ol style="list-style-type: none"> 3. प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति 4. हाथकरघा सहकारी समिति 5. खादी ग्राम उत्पादक सहकारी समिति 6. औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति 7. वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति 	
		(ख) श्रमिकों की औद्योगिक सोसाइटी	वन श्रमिकों की सोसाइटियां और श्रम संविदा सोसाइटियां	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्रमिक ठेका सहकारी समिति 2. एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सहकारी समिति 	0.05
		(ग) कृषि उत्पादकों की सोसाइटी	पशु प्रजनन, डेयरी और कुक्कुटशाला सोसाइटी	<ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन 2. जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ 3. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति 4. जैविक खेती एवं खाद उत्पादक सहकारी समिति 5. फूल एवं फल उत्पादक सहकारी समिति 	0.10
8.	संपदा सोसाइटी	(क) ऋण संपदा सोसाइटी	कर्मचारी क्रेडिट और थ्रिफ्ट सोसाइटी	<ol style="list-style-type: none"> 1. कर्मचारी क्रेडिट एवं थ्रिफ्ट सोसाइटी 2. महिला अपनी बचत व साख सहकारी समिति 	0.50
		(ख) ऋणोत्तर संपदा	बीज और उपकरण तथा कृषि अपेक्षित वस्तु		1.00

		सोसाइटी	सोसाइटियां		
		(ग) सेवा सहकारी सोसाइटी	सेवा सहकारी सोसाइटियां, बहुउदद्यदेशीय सहकारी सोसाइटियां और कृषि ऋण सोसाइटियां	ग्राम सेवा सहकारी समिति बहुउददेशीय सहकारी समिति कृषि सहकारी समिति	1.00
9.	महिला सहकारी सोसाइटी	(क) परिसंघ	सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर अधिकारिता रखने वाली	1. महिला सहकारी समिति 2. अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति	5.00
		(ख) केन्द्रीय	महिला बहुउदद्यदेशीय केन्द्रीय सोसाइटी		1.00
		(ग) प्राथमिक	महिला बहुउदद्यदेशीय सोसाइटी	महिला बहुदेशीय सहकारी समिति	0.05
10.	साधारण सोसाइटी	(क) सामाजिक	जीवनस्त्रोन्नयन सोसाइटियां और शिक्षा सोसाइटियां		0.50
		(ख) वाणिज्यिक	बीमा और मोटर रिक्शा चालक परिवहन सोसाइटियां		उपविधियों के अनुसार
		(ग) अन्य	उपर्युक्त उप-खण्डों में से किसी में भी न आने वाली सोसाइटियां		उपविधियों के अनुसार